न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 51/2019

1. गुरतेज सिंह पुत्र मुन्शी सिंह जाति नाई सिख निवासी 12 एफ ए तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--अप्रार्थी--

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट</u>

दिनांक : 31/10/2019

--निर्णय--

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 12 एफ ए की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 15/11 के मु.न. 58 में प्रार्थी की जाति रायसिख से सही करके नाई सिख करवाना चाहता हूं। तथा राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी की जाति गलती से रायसिख लिखी गई है तथा सही जाति नाई सिख है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की जाति रायसिख से सही करके नाई सिख किए जाने के आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2160 दिनांक 06.09.2019 से रिपोर्ट भिजवाई गई प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चक 12 एफए की जमाबन्दी सम्बत् 2074 ता 77 के खाता संख्या 10 में मु0न0 58 के किला न0 1 ता 6 की कुल 1.518 हैक्0 नहरी भूमि गुरतेज सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति रायसिख के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 66 की खाता संख्या 15 में राजासिख राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी इन्तकाल संख्या 114 बैयनामा व इन्तकाल संख्या 295 में भी गुरतेज सिंह पुत्र मुंशी सिंह की जाति राजासिख दर्ज थी। जमाबन्दी सम्वत 1966 ता 69 बनाते समय सहवन से गुरतेज सिंह पुत्र मुंशी सिंह की जाति राजासिख से रायसिख दर्ज कर दी गई। मौका निरीक्षण व आम जन से पुछताछ के आधार पर गुरतेज सिह पुत्र मुंशी सिंह की जाति नाई है और मूलनिवास प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रार्थी की जाति नाई है कार्यालय ग्राम पंचायत 9 एफए माझीवाला के प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रार्थी की जाति नाईसिख है। रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थी की जाति रायसिख की जाति रायसिख से नाई की जानी उचित है।

प्रार्थी को सूना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि चक 12 एफए की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 15/11 में अंकित जाति रायसिख से नाईसिख करवाना चाहता है। जिसे रायसिख के स्थान पर नाईसिख किया जावे। तहसीलदार की प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी की जाति रायसिख से नाई की जानी उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार के आधार पत्र प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 12 एफए की जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 10 के मु0 न0 58 की 1.518 हैक्0 भूमि में अंकित नाम गुरतेज सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति रायसिख के स्थान पर गुरतेज सिंह पुत्र मुंशी सिंह जाति नाई अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन बदस्तूर रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आदेश इस आश्य का जारी किया जावे। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ एवं भारतीय स्टेट बैंक श्रीकरणपुर को सूचनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{मूलचन्द लूणिया आर.ए.एस.}

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)